न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 319/2021 दायर दिनाँक 06.12.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. आसाराम पुत्र नारायणराम, जाति जाट, निवासी बेड़वा, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना 2. भू—प्रबन्धक, भू प्रबन्धक विभाग, सीकर

दावा बावत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—
1. श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वकिल वादी।

—:: निर्णय ::— दिनाँक 16.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 79 रकबा 1.6840 हेक्टेयर वाके बेड़वा की खातेदारी व कब्जा काश्त वादी का शुरू से लेकर आज तक है, तथा इस खेत में वादी की रिहायसी ढ़ाणी बनी हुयी है, तथा ट्युबवैल बना हुआ है, जिससे सिंचाई होती है, इस खेत के पुराने खसरा संख्या 26 रकबा 11.02 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसके नये खसरा संख्या 78 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 79 रकबा 1.6840 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1204/79 रकबा 0.0160 हैक्टेयर, कुल 1.8000 हैक्टेयर बन गये, जमाबन्दी की नकलें नयी व पुरानी दोनो वाद के साथ पेश है। खेत खसरा सख्या 79 रकबा 1.6840 हैक्टेयर तीकोना साईज के रूप में अवस्थित है, इस खेत के पूर्वी व पश्चिमी सिंव सिंव कटाणी रास्ते बहते है। इन दोनो रास्तो से खेतो के खातेदार अपने खेतो में आते जाते है। तथा यह दोनो रास्ते चालू हालत में है, तथा इस खेत की उतरी सिंमा पर डोल लगाकर व बाड़ की हुयी है, तथा वर्षो पूरानी सिंव है, इस सिंव में पुरानी मुरावलियां व अन्य पेड़ पौधे वर्षो से खड़े है। इस खेत की उतरी सिंव पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा न ही वर्तमान में है। यहाँ तक की रास्ते के अलामात भी नहीं है, तथा न ही इस रास्ते का अंकन राजस्व रिकोर्ड में रहा है। ट्रैस नक्शा की नकल दिनाँक 13.06.2017 वाद के साथ पेश है। हाल ही में जानकारी मिली है कि खेत खसरा संख्या 79 की उतरी सिंव सिंव भु—प्रबन्धक विभाग द्वारा बिना किसी को सुनवाई का अवसर दिये, बिना खातेदार की सहमति बाला बाला ही कटाणी रास्ता कायम कर दिया, जिस पर वादी ने हाल ही में दिनाँक 17.11.2021 को जमाबन्दी की व नक्शा की नकल अपना खाता से लेने पर वादी के खेत खसरा संख्या 79 की उतरी सिंव पर रास्ते के गलत अंकन की पुख्ता तौर से जानकारी हुयी, जो अंकन सरासर गलत किया गया है। भु—प्रबन्धक अधिकारीयों ने बिना किसी हक अधिकार व बिना सुनवाई के रास्ते का अंकन कर दिया जो गैर कानूनी है, इस रास्ते के गलत अंकन को वादीनी अपने नजरी नक्शा में मार्क ए से बी दर्शाया है। जो वाद का भाग है। जो नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है। हाल ही में सेटलमेन्ट के अधिकारीयों ने बिना किसी कानूनी अधिकारो के व बिना किसी पुराने रास्ते के होते हुये भी मनमाने तरीके से नजरी नक्शा [illegible] नक्शा में गलत अंकन कर दिया। जबकि वादी को बिना किसी सुन[illegible] सबुत के मनमाने तरीके से गलत रास्ते का अंकन किया [illegible] अधिकार खतरे में पड़ गये है। तथा अत्यधीक नुक[illegible] इतना ही नहीं खेत खसरा संख्या 79 में से अल[illegible] 0.1000 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया है, जो सरासर गलत है। वादी [illegible] रास्ते की भूमि को पुनः अपने नाम से करवाने की घोषणा व नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी (खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:02:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 79 की उतरी सिंव) पर गलत अंकन रास्ते को हटवाने का कानूनी अधिकारी है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरुस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी के खेत में से जबरन रास्ते का अंकन कर देने से उसे अत्यधीक नुकसान होने की संभावना बन गयी है क्योंकि मौके पर पुरानी सिंवे व पुरानी बाड़ कायम है। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के जायज अधिकारी है। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है। यह है कि बिनाय दावा हाल ही में दिनॉक 17.11.2021 को जमाबन्दी व नक्शा ट्रैस की नकले अपना खाता से प्राप्त करने से वादी के खेत की उतरी सींव सींव गैर कानूनी रूप से रास्ते का अंकन होने से अन्दर हदुद अदालत हाजा बमुकाम बेड़वा पैदा हुआ, दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है तथा दावा अन्दर मयाद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। तहसीलदार मौलासर से उक्त वाद के सबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट में भी उक्त रास्ता मौके पर नहीं होने का उल्लेख है, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वर्तमान खेत खसरा संख्या 79 वाके सरहद बेड़वा की उतरी सिंव सिंव पर गलत अंकित गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 78 रकबा 0.1000 हैक्टर को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है तथा रास्ते की भूमि खसरा संख्या 79 में पुनः दर्ज की जाती है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरी नक्शा व तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 16.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:02:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्‌दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 319/2021 दायर दिनाँक 06.12.2021

प्रार्थीगण		अप्रार्थी
1. आसाराम पुत्र नारायणराम, जाति जाट, निवासी बेड़वा, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना 2. भू—प्रबन्धक, भू प्रबन्धक विभाग, सीकर

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 16.08.2022

यह मुकद्‌दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्‌दई श्री कमलेश कुमार एडवोकेट वकिल वादी की और से मद्‌दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वर्तमान खेत खसरा संख्या 79 वाकै सरहद बेड़वा की उतरी सिंव सिंव पर गलत अंकित गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 78 रकबा 0.1000 हैक्टर को राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता है तथा रास्ते की भूमि खसरा संख्या 79 में पुनः दर्ज की जाती है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नजरी नक्शा व तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्‌दमें के मय सूद व शरह..........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.08.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
(सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्‌दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:42:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner